उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट 2009-14, 20वीं मंजिल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011
सीआईएन : U65922HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)" के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋणधारक/ऋणधारकों को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें संबंधित ऋणधारकों से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक के समस्त व्यय, प्रभार और खर्चों के साथ सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

उक्त ऋणधारक/ सह–ऋणधारक/ गारंटीदार/ बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणधारक/ सह–ऋणधारक/ गारंटीदार/ बंधककर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज की तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/ सह–ऋणधारक/ गारंटीदार/ बंधककर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति का कोई सौदा न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी सौदा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के उस पर प्रभार के अधीन होगा, जो उस पर पूर्ण भुगतान होने तक संबंधित तिथियों से आगे के ब्याज, व्यय तथा प्रभारों सहित उल्लिखित राशि के लिए होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों और गारंटीदारों के नाम व पते, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि, प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना की तिथि तथा उसके अंतर्गत दावा की गई राशि एवं कब्जा लेने की तिथि निम्नानुसार दी गई है :

क्र. सं.	ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा गारंटीदार का नाम एवं पता, ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि	सांकेतिक कब्जा तिथि
1.	1. कृष्ण कुमार पुत्र सुरेश कुमार (ऋणधारक) 2. मूर्ति देवी पत्नी सुरेश कुमार (सह–ऋणधारक) 3. शीना कुमारी पत्नी कृष्ण कुमार (सह–ऋणधारक) उपरोक्त सभी का पता:– सभी निवासी – 361 ररायन पाना झज्जर घाटी, वार्ड 15, चरखी दादरी, भिवानी, हरियाणा – 127306 ऋण सं: **LXBWN02922-230022496** तथा **LXBWN04424-250037337** **ऋण अनुबंध की तिथि** : 31–जनवरी–2023 तथा 24–मई–2024. **ऋण राशि** : रु. 3,20,000/– + रु. 1,05,000/–	11-मार्च-2026	21-सितंबर-2026
		देयराशि रु. में रु. 2,90,750.57/- + रु. 1,12,957.26/- कुल सकल राशि रु. 4,03,707.83/– (रुपये चार लाख तीन हजार सात सौ सात तथा तिरासी पैसे मात्र) दिनांक 11-मार्च-2026 के अनुसार + 12-मार्च-2026 से भावी ब्याज तथा अन्य प्रभार।	

प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण : संपत्ति का संपूर्ण टुकड़ा तथा भाग, जिसका क्षेत्रफल लगभग 38.88 वर्ग गज लगभग है (नयी आईडी संख्या **3DU5KMU6** तथा पुरानी आईडी संख्या **CD15P0452A**) है, जो बिक्री विलेख संख्या 5824 दिनांक 16.01.2018 के तहत पंजीकृत है, जो लाल डोरा के अंतर्गत झज्जर घाटी पटवार खाना, चरखी दादरी, हरियाणा में स्थित है। सीमाएं:– उत्तर: चौक शामिलात, दक्षिण: अतर सिंह का मकान, पूर्व: बलबीर सिंह का मकान, पश्चिम: अधीना का मकान।

तिथि : 25-सितंबर-2026 — प्राधिकृत अधिकारी, श्री सौरव त्रिपाठी, मोबा. 9650055701
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा — उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कॉम्पनी लिमिटेड

सीआईएन नं. U74999DL2002PLC117052
ए–270, पहली और दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली – 110 024, भारत
ईमेल: admin@alchemistarc.com, वेबसाइट: www.alchemistarc.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जो कि नीचे वर्णित दिनांक के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्रत्यायोजित है) के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सिक्यूरिटाइजेशन एवं पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा धारा 13(12) सहपठित (नियम 3) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, को मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने हेतु कहा गया। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम 2002) के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं) का नाम)	देय राशि रु.	13(4) नोटिस की तिथि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	देय तिथि
1	PR01411871	सुनील कुमार बबली देवी	रु. 11,34,316/– (रु. ग्यारह लाख चौतीस हजार तीन सौ सोलह मात्र)	22 सितम्बर 2026	संपत्ति आवासीय प्लॉट का वह पूर्ण टुकड़ा और अंश जिसका क्षेत्रफल 67.00 वर्ग मी. गांव– हुसैनपुर सीसाला, परगना– सैंडी, तहसील– बिलग्राम, जिला–हरदोई, यूपी 241403। पूर्व – प्लॉट पवन कुमार, पश्चिम – प्लॉट ओम कुमार, उत्तर – सांधी तिराहा से हरपालपुर मार्ग, दक्षिण – खेत विश्राम और नंदलाल	30.09.2025

उधारकर्ता/गारंटर (ओं) को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) के बिक्री, पट्टे, बंधक, प्रभार या अन्यथा के माध्यम से सौदा या निपटान न करें।

यह प्रकाशन उधारकर्ता (ओं), गारंटर (ओं) और आम जनता की जानकारी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया निम्नलिखित संपर्क विवरण पर अधोहस्ताक्षरी फोनः 011–46562584 ईमेलः admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com से संपर्क करें।

दिनांकः– 25.09.2026 — एसडी/– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः– उत्तर प्रदेश — अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) सुरक्षित ऋणदाता

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट सी 54 और सी 55, सुपर बी-4, थिरु विका औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600032 शाखा का पता: सैफायर बिल्डिंग नं. 246 एवं 247, चेन्नई-दिल्ली हाईवे, चौधरी दिगंबर सिंह नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281004.

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 की धारा 13[12] के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम [B] में दिए गए हैं, को कॉलम [C] में निर्दिष्ट तिथियों पर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [D] में दी गई बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 [4] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 8 के साथ पठित है, कॉलम [E] में उल्लिखित संबंधित तिथियों को कंपनी के पास बंधक संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कॉलम [D] में उल्लिखित राशि के साथ-साथ ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 [8] के तहत, उधारकर्ता बिक्री की अधिसूचना से पहले सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके सुरक्षित संपत्ति का मोचन कर सकते हैं।

स. क्र [A]	उधारकर्ता का नाम एवं पता ऋण खाता संख्या [B]	मांग नोटिस की तिथि [C]	बकाया राशि [D]	कब्जे की तारीख [E]
1.	ऋण खाता संख्या : ML01NPU00000077965 **1. अशोक चौधरी (आवेदक)**, आयसी 28, फेस 1, डॉ. पंकज के सामने, चंदनवन, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281001, **2. भानु चौधरी (सह-आवेदक)**, आयसी 28-29, चंदनवन फेस 1, धौली प्याऊ, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281001, **3. मे. भानु चौधरी एंटरप्रायझेस (सह-आवेदक), 4. अशोक चौधरी एंटरप्रायझेस (सह-आवेदक), 5. भानु चौधरी (सह-आवेदक), 6. सावित्री देवी (सह-आवेदक)** क्रमांक 3 से 6 का पता: आयसी 28, फेस 1, चंदनवन, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281001	13.04.2026	13.04.2026 तक रु. 46,13,724.00 और उस पर ब्याज	21/09/2026

संपत्ति का विवरण : कृषि भूमि, रकबा 0.0875 हे., मोहल्ला/ग्राम – मौजा मगोरा, तहसील एवं जिला मथुरा में स्थित, खसरा नं. 2070 में स्थित, सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व – रेलवे लाइन, पश्चिम – मथुरा-भरतपुर रोड, उत्तर – राज कुमार चाहर की कृषि भूमि, दक्षिण – धर्मेंद्र एवं अन्य की कृषि भूमि

दिनांक : 21/09/2026 , स्थान: मथुरा — प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेड

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं(ओं) को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से उनके नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भविष्य में लागू ब्याज सहित उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

क्र. सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय और कब्जे का प्रकार
1	46109420005248 & 46109430001901	1) श्री राजीव वर्मा, पुत्र श्री दिनेश कुमार वर्मा (उधारकर्ता), 2) श्रीमती सीमा वर्मा, पत्नी श्री राजीव वर्मा (सह–उधारकर्ता)	**13-07-2026** रु. **44,45,218.80** (रु. चौवालीस लाख पैतालीस हजार दो सौ अट्ठारह और पैसे अस्सी मात्र) 09.07.2026 तक	23.09.2026 समयः 02.45 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूर्ण हिस्सा जोकि फ्लैट नंबर **T-F.-202**, जो मकान नंबर **439-C/ 22kha/2** पर बना है, तीसरी मंजिल, जिसका क्षेत्रफल 75.464 वर्ग मीटर / 812 वर्ग फीट है, जिसे अमर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है सराय माली खान, वार्ड बाजार काली जी, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003। इसके मालिक श्री राजीव वर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार वर्मा है। सीमाएँः उत्तर – खुला आसमान, दक्षिण – शक्ति वर्मा का मकान, पूर्व – राम चंद्र का मकान और पश्चिम – आर.एन. सिंह का फ्लैट

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः लखनऊ — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
तिथिः 23.09.2026 — कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लघट्टा, बैंगलोर–560071 शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, एम एंड एम टॉवर, प्लॉट नंबर बी22/बी23, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

OMKARA — कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028, दूरभाष: 022-69231111/9833546349

परिशिष्ट-IV-A] [नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य तथा विशेष रूप से राजकुमार शर्मा (कर्जदार) एवं ललिता (सह-कर्जदार), योगेन्द्र कुमार (गारंटर) (**HHLNOI00286804**) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जो अब प्रतिभूत लेनदार ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है।

साथ ही, ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) ने दिनांक 29.03.2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सम्मान कैपिटल लिमिटेड (इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) से अंतर्निहित प्रतिभूति सहित संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। उक्त असाइनमेंट अनुबंध के अनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर का स्थान ग्रहण कर लिया है एवं वह बकाया राशि की वसूली तथा प्रतिभूति लागू करने का अधिकारी है। तदनुसार, उपरोक्त कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं से ओएआरपीएल को देय 13.10.2022 तक कुल बकाया राशि एवं 14.10.2022 से देय ब्याज एवं व्यय सहित **रु. 14,77,622.14/- (रुपये चौदह लाख सतहत्तर हजार छः सौ बाईस और चौदह पैसे मात्र)** की वसूली हेतु नीचे वर्णित अचल संपत्ति को **"जैसा है जहां है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है यही है"** एवं **"आश्रय रहित"** आधार पर बेचा जाएगा। संपत्तियों की बिक्री सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।

संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि संबंधित कॉलम में नीचे दी गई है।

क्र. सं.	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी (रु. लाख में)	कर्जदार/सह-कर्जदार
1.	फ्लैट नंबर यूजी 4, अपर ग्राउंड फ्लोर, बीच वाला हिस्सा (बिना छत के अधिकार के), फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर 81, ब्लॉक 'बी' पर बना हुआ; पता: डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-II, गाज़ियाबाद 201005, उत्तर प्रदेश। एरिया: 400 वर्ग फीट।	12.10	1.21	राजकुमार शर्मा (कर्जदार) योगेन्द्र कुमार (गारंटर) ललिता (सह-कर्जदार)

वृद्धिशील बोली राशि	**Rs. 10,000/-**
निरीक्षण की तिथि एवं समय	30 सितम्बर, 2026. समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक
सहभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	13 अक्टूबर, 2026 को 4.00 बजे अप. तक
नीलामी की तिथि	14 अक्टूबर, 2026, 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक
ज्ञात देयताएँ	कोई नहीं

यह नीलामी ओएआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों में) और ईएमडी (डीडी/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) 13 अक्टूबर, 2026 को 4.00 बजे अप. तक है। बोली जमा करते समय, बोलीदाता को दिवाला संहिता, 2016 की धारा 29(ए) के अनुसार हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर बोली रद्द कर दी जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://omkaraarc.com/auction.php** पर दिए गए लिंक पर जाएँ।

जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता **"मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"** से संपर्क कर सकते हैं, दूरभाष हेल्पलाइन: +91-7291981124/25/26, ईमेल आईडी: **support@bankeauctions.com**, संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए, कार्यालयीन समय और कार्यदिवसों में प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेंद्र भोसले से मोबाइल: +91 9833546349, ईमेल: **rajendra.bhosale@omkaraarc.com** या सुश्री शीतल काठे, मोबाइल : +91 9167599459 ई-मेल: **shital.kathe@omkaraarc.com** पर संपर्क करें।

सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के तहत बिक्री के लिए सांविधिक सूचना

यह सूचना उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/जमानती/बंधककर्ताओं को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 15 (पन्द्रह) दिनों की अनिवार्य सूचना है, जिसमें उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें परामर्श दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो उपरोक्त उल्लिखित बकाया राशि और लागत एवं व्यय का भुगतान करके सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिसंपत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। भुगतान में विफल रहने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर, संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से बेचा जा सकता है।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 25 सितंबर, 2026 — ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थानः मुंबई — (ओमकारा पीएस 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the Draft Red Herring Prospectus and the Draft Abridged Prospectus)

KPM™ BY KOOLKING

KOOLKING INDUSTRIES INDIA LIMITED

(formerly known as Koolking Industries India Private Limited and Koolking Udhyog Private Limited)

Our Company was originally incorporated as "K P M Udyog Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated February 13, 2008, issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. The name of our Company was changed to "Koolking Udhyog Private Limited" pursuant to a resolution dated May 10, 2008, passed by our Board and a resolution dated May 29, 2008, passed by our Shareholders, post which a fresh certificate of incorporation dated June 9, 2008, was issued by Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. Subsequently, the name of our Company was changed to "Koolking Industries India Private Limited" pursuant to a resolution dated April 27, 2026, passed by our Board and a resolution dated May 19, 2026, passed by our Shareholders, post which a fresh certificate of incorporation dated May 29, 2026, was issued by Registrar of Companies, Central Processing Centre, Ministry of Corporate Affairs at Haryana. On the conversion of our Company from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed by our Board on May 29, 2026 and a special resolution passed by our Shareholders on June 8, 2026, the name of our Company was changed to "Koolking Industries India Limited" and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, Ministry of Corporate Affairs at Haryana on June 23, 2026. For further details of changes in the name and registered office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"*** on page 336 of the Draft Red Herring Prospectus dated September 23, 2026 (**"DRHP"**).

Corporate Identification Number: U28129PB2008PLC031668
Registered and Corporate Office: Village Ratolan, Dhuri Road, Malerkotla – 148 023, Punjab, India;
Contact Person: Kangan Dhamija, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 1675-299181; **E-mail:** cs@kpmgroupindia.com; **Website:** www.kpmgroupindia.com

OUR PROMOTERS: SAJIV GOPAL, MALTI SOOD AND VARUN GOPAL

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF KOOLKING INDUSTRIES INDIA LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 3,000.00 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,050,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("OFFER FOR SALE") COMPRISING UP TO 915,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY SAJIV GOPAL, UP TO 915,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY MALTI SOOD, UP TO 915,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY VARUN GOPAL (COLLECTIVELY, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND UP TO 305,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY SUGANDHA SOOD ("PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDER", TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, AT ITS DISCRETION, AGGREGATING UP TO ₹ 600.00 MILLION, ("PRE-IPO PLACEMENT") PRIOR TO THE FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS ("RHP"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER, OR THAT THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT IN THE LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RHP AND PROSPECTUS. THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE REPORTED TO THE STOCK EXCHANGE(S), WITHIN TWENTY-FOUR HOURS OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT (IN PART OR IN ENTIRETY).

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH. THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [●] EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED PUNJABI DAILY NEWSPAPER, PUNJABI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF PUNJAB WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (THE "BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (THE "NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Category"**), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), of which 40% shall be available for allocation in the following manner: (i) 33.33% shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies and pension funds, as applicable at or above the price at which Equity Shares will be allocated to Anchor Investors (**"Anchor Investor Allocation Price"**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription in (ii) above, the allocation may be made to domestic Mutual Funds. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) (the **"Net QIB Category"**). Further, 5% of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Category, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion (defined hereinafter) will be added to the remaining QIB Category for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors (**"NIIs"**) (**"Non-Institutional Category"**), of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹ 1.00 million and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors (**"RIIs"**) (**"Retail Category"**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter)) in which the Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For further details, see ***"Offer Procedure"*** beginning on page 495 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated September 23, 2026 with the Securities Exchange Board of India (**"SEBI"**) and the Stock Exchanges. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of publication of this public announcement in accordance with Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations by hosting it along with Draft Abridged Prospectus dated September 23, 2026 on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, website of the Company at www.kpmgroupindia.com and the websites of the Book Running Lead Manager to the Offer i.e. Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net (**"BRLM"**). Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI, the Company and/or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement in accordance with Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations.

Investments in equity and equity-related securities involves a degree of risk and bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the bidders is invited to ***"Risk Factors"*** on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the RHP has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 336 of the DRHP.

For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, see ***"Capital Structure"*** on page 101 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
KEYNOTE	KFINTECH
Keynote Financial Services Limited The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 22 6826 6000 **E-mail:** mbd@keynoteindia.net **Website:** www.keynoteindia.net **Investor grievance e-mail:** investors@keynoteindia.net **Contact person:** Sunu Thomas/ Archana Dhivar **SEBI Registration Number:** INM000003606	**Kfin Technologies Limited** 301, The Centrium, 3rd Floor, Lal Bahadur Shastri, Nav Pada, Kurla West, Mumbai- 400 070, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 **E-mail:** koolking.ipo@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Investor grievance e-mail:** einward.ris@kfintech.com **Contact person:** M.Murali Krishna/ Williams R **SEBI registration no.:** INR000000221

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Kangan Dhamija
Village Ratolan, Dhuri Road, Malerkotla– 148 023, Punjab, India **Telephone:** +91 1675-299181 **E-mail:** cs@kpmgroupindia.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For KOOLKING INDUSTRIES INDIA LIMITED
(formerly known as Koolking Industries India Private Limited and Koolking Udhyog Private Limited)
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Kangan Dhamija
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Punjab, India
Date : September 24, 2026

KOOLKING INDUSTRIES INDIA LIMITED *(formerly known as Koolking Industries India Private Limited and Koolking Udhyog Private Limited)* is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 23, 2026 with SEBI and Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and is available on website of the company i.e. www.kpmgroupindia.com, websites of the BRLM, i.e. Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net . Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section entitled ***"Risk Factors"*** on page 23 of the DRHP and the details set out in the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

CONCEPT